न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण R-563-II-17

श्री .... द्वारा आज दि 6.2.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6.2.17
राजस्व मण्डल म.प्र.

राजेश्वर प्रसाद पुत्र श्री इन्द्रजीत निवासी– ग्राम डीहीं तेहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0 ––आवेदक

बनाम

1. वंशगोपाल पुत्र श्री इन्द्रजीत ब्राहमण
2. मु0 वेदवती वेवा बृजमोहन
3. शशिकान्त
4. मनीष
5. विनीत

क्रमांक 3 लगायत 5 पुत्रगण श्री बृजमोहन

6. हरीहर प्रसाद पुत्र श्री बालगोविन्द
7. राजमोहन पुत्र श्री बालगोविन्द निवासीगण– ग्राम डीहीं तेहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0

––अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 27/01/2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय हनुमना के प्रकरण क्रमांक अपील 100/ए/15-16 व उनवान वंशगोपाल बनाम राजेश्वर प्रसाद आदि ।

माननीय महोदय,

–2–

(24)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

निगरानी 563–दो / 2017 जिला रीवा

राजेश्वर प्रसाद विरूद्ध वंशगोपाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–8–2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने नायब तहसीलदार पहाडी ग्राम डीही की नामांरण पंजी कमांक 10 पर पारित आदेशदिनांक 20–1–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 44(1) के तहत अपील अनुविभागीय आकिारी हनुमना के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपील के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन भी पेश किया गया जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 27–1–17 को अपील को अंदर म्याद ग्राह्य की तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत की। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलखे का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक को पंजी पर आदेश की संसूचना नहीं थी और अनावेदक के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। अनावेदक को जब जानकारी हुई तब जानकारी दिनांक से उसके द्वारा अपील समयावधि में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी से अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में माना है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित	

परिस्थितियों में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा का अंतरिम आदेश दिनांक 27—1—2017 स्थिर रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

14/8/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य